

अध्याय 5: आवासीय परियोजनाओं को दिए गए कर प्रोत्साहनों के प्रभाव का आकलन

5.1 आवासीय क्षेत्र को आगे बढ़ाने एवं समाज के निचले तबके और मध्यवर्गीय लोगों को आवास की बेहतर उपलब्धता बढ़ाने के लिए 1998 में आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 80-आईबी(10)³² लाई गई। इस धारा के अंतर्गत कुछ शर्तें पूरा करने पर बिल्डर को लाभ से छूट दी जानी थी। इस अध्याय में लेखापरीक्षा के यह सुनिश्चित करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है, कि क्या रिएल एस्टेट क्षेत्र को अनुमत कटौतियों से अधिनियम की धारा 80-आईबी(10) शुरू करने के वांछित लाभ हुए अथवा नहीं।

सरकार द्वारा दिए गए विशेष कर प्रोत्साहन का निश्चित रूप से राजस्व प्रभाव पड़ता है, जिसे 'छोड़ा गया राजस्व' कहा जाता है और इसे करदाताओं को एक अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में माना जा सकता है। छोड़े गए राजस्व की मात्रा का प्रयोग लक्षित क्षेत्र में संगठित गतिविधियाँ (अर्थात् अवसंरचना सुविधायें बनाना, पूँजीगत निवेश के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में बढ़ता हुआ हास) बढ़ाने के लिए दी गई कर कटौती का प्रभाव जानने के लिए किया जा सकता है। पिछले चार वि.व. के दौरान छोड़े गए राजस्व का विवरण नीचे तालिका 5.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.1: धारा 80-आईबी(10) के अंतर्गत कटौती के कारण छोड़ा गया राजस्व			
वित्तीय वर्ष	छोड़ा गया राजस्व (₹ करोड में)		
	निगम	फर्म/बीओआई/एओपी	व्यक्ति ³³
2013-14	180.1	266.0	82.0
2014-15	105.4	172.9	63.6
2015-16	56.9	136.6	40.3
2016-17	65.27	89.92	22.7

स्रोत: आंकड़े तत्संबंधी प्राप्ति बजट के अनुसार हैं।

लेखापरीक्षा के प्रश्न कि क्या भारत सरकार के पास अधिनियम की धारा 80-आईबी(10) के अंतर्गत कर प्रोत्साहन के प्रभाव की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र था, के उत्तर में मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2018) कि प्रशासनिक मंत्रालयों जिनके क्षेत्राधिकार में ऐसे क्षेत्र आते हैं, द्वारा किए गए विशेष

³² 1.4.2016 से समाप्त

³³ इसमें धारा 80-आईबी(10) के अन्तर्गत अनुमत छूट के अलावा भी शामिल है

अनुरोध/सिफारिशों पर विभिन्न क्षेत्रों को ऐसी रियायतें दी जाती हैं, और परित्यक्त राजस्व का क्षेत्रवार विशिष्ट विश्लेषण उस प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसने उस क्षेत्र के विकास के लिए एक नीति के रूप में प्रत्यक्ष कर रियायतों की सिफारिश की है।

इस प्रकार, मंत्रालय के पास परित्यक्त राजस्व के सस्ते घर बनाने और आवासीय क्षेत्र में वृद्धि पर इसके प्रभाव को जानने का कोई तंत्र नहीं है।

सिफारिश: मंत्रालय एक तंत्र स्थापित करे जिसके द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत योजनाओं में प्रोत्साहन की समीक्षा करने से पूर्व आईटीडी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से इनपुट प्राप्त कर सके ताकि मंत्रालय लक्षित समूह को कर प्रोत्साहन के लाभ की गणना एवं उसकी निगरानी कर सके।

सीबीडीटी ने कहा (जुलाई 2018) कि प्रशासनिक मंत्रालयों को उनके क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत क्षेत्रों के लिये प्रदत्त कर रियायतों के संबंध में प्रभाव का अध्ययन मुहैया कराने और विभिन्न पहलुओं पर लागत-लाभ विश्लेषण प्रदान करने का अनुरोध किया है।

जब लेखापरीक्षा ने इस संबंध में पूछा तो आयकर विभाग के पास आवास क्षेत्र में संवृद्धि पर परित्यक्त राजस्व के प्रभाव के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। जिसके कारण यह प्रतीत होता है कि अभिप्रेत समूहों के लिए कर प्रोत्साहनों के लाभों की निगरानी नहीं की जा रही थी।

5.2 खरीद क्षमता मापदण्ड एवं छूटों को अनुमत करना

5.2.1 खरीद क्षमता मापदण्ड का न होना

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आईबी(10) में आवासीय परियोजनाओं के निर्माण एवं विकास के कारोबार से जुड़े उपक्रम से अर्जित लाभ के शत प्रतिशत छूट का प्रावधान है बशर्ते कि कुछ शर्तें पूरी की जाए जैसे कि

- निर्धारित अवधि के अंदर परियोजना पूर्ण करना,
- जमीन के भूखण्ड का आकार जो न्यूनतम एक एकड़ है,
- आवासीय इकाई का अधिकतम क्षेत्रफल दिल्ली और मुंबई के लिए और इनकी नगरपालिका सीमा से 25 किमी के दायरे में 1,000 वर्ग फीट तथा अन्य क्षेत्रों के लिए 1,500 वर्ग फीट,

- एक आवासीय परियोजना में किसी एक व्यक्ति को जो इन्डीविजुयल न हो, एक से अधिक घर का आवंटन नहीं किया गया हो,
- एक आवासीय परियोजना में एक व्यक्ति, जिसको आवास आवंटन किया गया हो, के पति-पत्नी अथवा नाबालिग बच्चे के नाम से भी आवंटन नहीं करना, आदि।

इसके अतिरिक्त, धारा 80एसी में प्रावधान है कि एक निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी उस निर्धारण वर्ष में धारा 80-आईबी(10) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निर्धारित तिथि से पूर्व दाखिल करनी होगी। धारा 80-आईबी(10) के अंतर्गत छूट का दावा करने के लिए निर्धारित को निर्धारित प्रपत्र 10सीसीबी में सनदी लेखाकार से एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2012 में तैयार की गई शहरी आवासीय कमी पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट³⁴ के अनुसार कुल 18.78 मिलियन घरों की कमी थी, जिसमें से 96 प्रतिशत कमी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और कम आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणी में थी। नवम्बर 2017 में आवास एवं शहरी मामलों के प्रभारी राज्य मंत्री ने कहा कि 10 मिलियन आवासों की कमी का आकलन किया गया है।

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एमएचयूपीए) द्वारा गठित टास्क फोर्स³⁵ ने ईडब्ल्यूएस/एलआईजी की श्रेणियों से संबंधित परिवारों के लिए एक किफायती घर हेतु पैरामीटर सुझाते हुए कहा एक ऐसी इकाई जहां है

- (i) ज्यादा से ज्यादा 300 और 600 वर्ग फीट (अर्थात् 27.87 से 55.74 वर्ग मीटर) के बीच कार्पेट एरिया, तथा
- (ii) लागत परिवार की सकल वार्षिक आय की चार गुना से अधिक ना हो;
- (iii) ईएमआई/किराया परिवार की सकल मासिक आय के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

एमएचयूपीए ने पारदर्शी अर्हक मापदंड और राज्यों का परिसंचरण के लिए पीपीपी परियोजनाओं में किफायती घरों के लिए दिशा निर्देश का अलग सैट विकसित करने के लिए नवम्बर 2010 में एक और टास्क फोर्स का गठन किया।

³⁴ स्रोत : राष्ट्रीय भवन संगठन आवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार www.mhupa.gov.in

³⁵ श्री दीपक पारीख, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी) के अध्यक्षता के अधीन सभी के लिए किफायती आवास पर उच्च स्तरीय कार्यबल (2008)

नवम्बर 2012 की अपनी रिपोर्ट में टास्क फोर्स ने 60 वर्ग मी. तक के कार्पेट एरिया वाली व्यक्तिगत आवास इकाइयों के रूप में एक किफायती घर माना है और अधिमानतः परिवार की वार्षिक आय के 5 गुना की कीमत सीमा के अन्दर हो तथा सिफारिश की कि:

- ईडब्ल्यूएस वर्ग हेतु एक रहने योग्य ईडब्ल्यूएस आवासीय इकाई का न्यूनतम आकार 21-27 वर्ग मी. तथा एलआईजी वर्ग के लिए 28-40 वर्ग मी कार्पेट एरिया होना चाहिए,
- ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी वर्ग के लिए अधिकतम घरेलू आय ₹ 8,000/- और ₹ 16,000/- प्रति माह या ईडब्ल्यूएस के लिए ₹ 1,00,000 और एलआईजी के लिए ₹ 2,00,000/- की वार्षिक आय होनी चाहिए,
- 31 मार्च 2008 के बाद संस्वीकृत किफायती आवासीय परियोजनाओं, जो एमएचयूपीए द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करती हो, हेतु धारा 80-आईबी(10) के प्रावधान कम से कम 10 वर्षों, 2018 तक के लिए लागू होने चाहिये।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 15 जुलाई 2014 की अपनी अधिसूचना³⁶ में एक आवास परियोजना में विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के निर्माण के उद्देश्य के लिए आवास परियोजनाओं में आवास इकाई के निर्माण की लागत ₹ 10 लाख पर विचार करने को कहा।

भारत सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस/एलआईजी ग्रुपों के लिए आवासीय योजनाओं के वर्गीकरण के लिए आवासीय इकाइयों के आकार/खरीद क्षमता आधार पर अनेक मापदण्ड थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बिल्डर जो धारा 80-आईबी(10) की कटौती का लाभ ले रहे थे, आवास इकाइयों जिनका विल्ड-अप एरिया धारा 80-आईबी(10) के अनुरूप था, उन्हें ₹ 16 लाख (दिल्ली) से ₹ 3.15 करोड़ (मुम्बई) में बेच रहे थे। इस प्रकार ये ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी की पहुँच से बाहर थे क्योंकि ₹ 1 लाख प्रतिवर्ष तक कमानेवाला व्यक्ति इतने महँगे घर नहीं खरीद सकता। इस प्रकार समाज के ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग हेतु आवास की बेहतर उपलब्धता के लिए धारा 80-आईबी(10) के अंतर्गत कटौती प्रदान करने का उद्देश्य एक हद तक पूरा नहीं हो रहा था।

³⁶ आरबीआई/2014-15/127-डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं 25/08.12.2014/2014-15, जुलाई 15, 2014 को बैंकों द्वारा लम्बी अवधि के बाण्डों को जारी करने पर - अवसंरचना एवं किफायती आवास का वित्त पोषण

5.2.2 धारा 80 आई बी (10) के अन्तर्गत छूट अनुमत करने में अनियमितताएँ

चयनित निर्धारण प्रभारों में उपलब्ध किए गए निर्धारण अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि आईटीडी ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि धारा 80-आईबी(10) के प्रावधान के अंतर्गत लाभ लेने के लिए ₹ 270.68 करोड़ के कर प्रभाव वाले 72 मामलों में पूर्व-शर्तों का पालन नहीं किया गया था। अपेक्षित पूर्व शर्तों जैसे निर्धारित तिथि के बाद आयकर विवरणी दाखिल करना, निर्धारित तिथि के अंदर परियोजना का पूरा न होना, घर का बिल्ड अप एरिया धारा में दिए गए क्षेत्र से अधिक होना; एक से अधिक घर का आवंटन, आवासीय परियोजना के निर्माण और उसके विकास से प्राप्त न हुई आय, फार्म 10सीसीबी में रिपोर्ट प्रस्तुत न करना और आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और विकास के कारोबार का अलग लेखा न बनाया जाना, को पूरा न करने के बावजूद भी छूट अनुमत की गई थी।

पांच मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

क. कर्नाटक, पीसीआईटी-IV बेंगलुरु प्रभार में नि.व. 2012-13 एवं 2013-14 के लिए निर्धारिती श्री सैयद अलीमुल्ला का निर्धारण धारा 80-आईबी(10) के अंतर्गत ₹ 2.81 करोड़ और ₹ 4.57 करोड़ की कटौती की अनुमति के पश्चात मार्च 2015 एवं मार्च 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 24.66 लाख एवं ₹ 14.01 लाख की आय निर्धारण कर पूरा किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नि.व. 2012-13 में निर्धारिती ने एक से अधिक फ्लैटों का आवंटन (न. 902, 1002 बी ब्लॉक में और 1103 ए ब्लॉक में) श्री हिदायत और उनके परिवार को किया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि नि.व. 2013-14 के लिए मार्च 2016 में संबंधित जेएओ के निर्देश पर विभागीय अधिकारी द्वारा परियोजना की जांच की गई थी जिसमें 3,100 वर्गफुट से अधिक निर्माण क्षेत्र वाले तीन डुपलेक्स अपार्टमेंट - बी-901 एवं बी-1001, बी-902 एवं बी-1002 तथा बी-903 एवं बी-1003 थे जोकि 1,500 वर्गफुट की निर्धारित सीमा से अधिक थे। इसके अलावा, अपार्टमेंट संख्या बी-902/बी-1002 एक व्यक्ति को आवंटित थे। इस प्रकार यह परियोजना धारा 80-आईबी(10) के तहत कटौती की पात्र नहीं थी। तथापि एओ ने संवीक्षा निर्धारण के दौरान इस निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार नहीं किया तथा कटौती स्वीकार की।

अतः अपात्र परियोजना के लिए ₹ 7.38 करोड़ (₹ 2.81 करोड़ + ₹ 4.57 करोड़) की दावा की गई छूट को अनअनुमत करना चाहिए था। इस चूक के कारण ₹ 240.72 लाख (₹ 86.83 लाख + ₹ 153.89 लाख) के कर का कम उदग्रहण हुआ।

ख. पीसीआईटी पणजी प्रभार, गोवा में नि.व. 2012-13 के लिए मै. आनन्द डेवलपर्स का निर्धारण निर्धारिती द्वारा दावा किए गए ₹ 3.19 करोड़ की कटौती को स्वीकार करने के पश्चात् ₹ 0.62 लाख की रिटर्न आय पर मार्च 2015 में धारा 143(3) के तहत पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने रिटर्न फाइल करने की निश्चित तिथि अर्थात् 30.09.2012 के पश्चात् 31.12.2012 को आय की रिटर्न फाइल की थी। चूँकि आय की रिटर्न को निश्चित तिथि से पूर्व फाइल नहीं किया गया था अतः धारा 80-आईबी(10) के तहत स्वीकृत कटौती को अस्वीकृत करना अपेक्षित था। परन्तु आयकर विभाग ने अस्वीकृति पर विचार नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 1.51 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

ग. पीसीआईटी-3, दिल्ली में नि.व. 2011-12 तथा 2012-13 के लिए मै. पल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का निर्धारण क्रमशः ₹ 12.92 करोड़ तथा ₹ 27.57 करोड़ की रिटर्न आय पर मार्च 2016 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के तहत पूर्ण किया गया। निर्धारिती ने धारा 80-आईबी(10) के तहत क्रमशः ₹ 1.93 करोड़ तथा ₹ 4.91 करोड़ की कटौती का दावा किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती इस कटौती के योग्य नहीं था क्योंकि निर्धारिती ने धारा 80-आईबी(10) में वर्णित शर्तों का अनुपालन नहीं किया था।

(i) निर्धारिती ने नि.व. 2011-12 में एक परियोजना (पल्स गेटवे टॉवर, वडोदरा, गुजरात) को पूर्ण दर्शाया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस परियोजना में निर्मित सभी फ्लैट 1,500 वर्गफुट के निर्धारित आकार से अधिक के थे।

(ii) निर्धारिती ने नि.व. 2012-13 में अन्य परियोजना (निर्मल छाया टॉवर, जीरकपुर, पंजाब) को पूर्ण दर्शाया था। जिसमें 751 रिहायशी इकाईयों में से 520 इकाईयां 1500 वर्गफुट के निर्धारित आकार से अधिक थी। इसके अलावा, इस परियोजना में 433 इकाईयों को एक कम्पनी (मै. पीएसीएल लिमिटेड) को बेचा गया था।

(iii) दोनों नि.व. के निर्धारण अभिलेखों में इस बात की पुष्टि करने के लिए कि परियोजना को निश्चित समयसीमा में पूरा किया गया था, सक्षम प्राधिकारी से कोई परियोजना पूर्णता प्रमाण-पत्र तथा फॉर्म 10 सीसीबी में प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार, एओ धारा 80-आईबी(10) के प्रावधानों का अनुपालन करवाने में विफल हुआ तथा कटौती की स्वीकृति दी जिसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.37 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण वाली ₹ 6.84 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

घ. पीसीआईटी पणजी गोवा प्रभार में, मै. प्रूडेंशियल डेवलपर का नि.व. 2010-11 के लिए निर्धारण अप्रैल 2013 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत, अप्रैल 2013 तथा मार्च 2016 में धारा 143(3) के तहत नि.व. 2011-12 तथा 2013-14 के लिए क्रमशः ₹ 15.37 लाख, ₹ 3.25 करोड़ तथा ₹ 28.55 लाख की धारा 80-आईबी(10) के तहत कटौती स्वीकृत करने के पश्चात् पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि

(i) फॉर्म 10 सीसीबी के अनुसार, परियोजना नि.व. 2010-11 में निर्माणाधीन थी।

(ii) परियोजना प्रीसटाइन में दो इकाईयां श्री रोहन रामचंद्र पई पन्नन्दीकर तथा उनकी पत्नी श्रीमती नूतन रोहन पन्नन्दीकर (फ्लैट सं. 2/टी-1 तथा 2/टी-2) को आवंटित की गई थी।

(iii) परियोजना में दो इकाईयां श्री सुन्हर निपुन थनवल्ला तथा सुश्री लीना निपुन थनवल्ला (फ्लैट सं. 4/टी-1) तथा श्री सुन्हर निपुन थनवल्ला तथा श्री निपुन थनवल्ला (फ्लैट सं. 4/टी-2) को आवंटित की गई थी।

इस प्रकार, एओ ने अपात्र परियोजना को कटौती स्वीकृत दी जो नि.व. 2010-11 में निर्माणाधीन थी। उक्त प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप तीन नि.व. के लिए ₹ 1.42 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

इ. महाराष्ट्र, प्र. सीआईटी (केन्द्रीय-III) मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए मै. हबटाउन लिमि. का निर्धारण दिसम्बर 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि

निर्धारिती ने ₹ 15.06 करोड़ खरीद में से यह कहते हुए निकाल दिये कि यह खरीद उस आपूर्तिकर्ता से की गई थी जो महाराष्ट्र बिक्री कर विभाग द्वारा प्रकाशित बोगस डीलरों की सूची में शामिल था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि इस कमी के परिणामतः लाभ में वृद्धि हुई तथापि इस कमी से कर राजस्व में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई क्योंकि यह धारा 80-आईबी(10) के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत कर दी गई थी। इसके परिणामतः निर्धारिती को अनुचित लाभ हुआ।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि एओ ने अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए निर्धारणों में ऐसी चूके की थी जो आयकर विभाग की ओर से आन्तरिक नियंत्रणों में कमजोरी को परिलक्षित करती हैं जिन्हें सम्बोधित किए जाने की आवश्यकता है।

धारा 80-आईबी(10) के तहत कटौतियों को स्वीकार करने के लिए शर्तों को लागू करना कमजोर था जिसके कारण अपात्र व्यक्तियों/अनभिप्रेत समूहों द्वारा लाभ उठाया गया। इस प्रकार, लक्षित समूहों को लाभ नहीं दिया जा सका तथा सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष इस आधार पर परित्यक्त राजस्व से अनभिप्रेत व्यक्तियों को लाभ हो सकता है।

सिफारिश: मंत्रालय फॉर्म 10सीसीबी में प्रमाण-पत्र का सत्यापन सुनिश्चित करें तथा यदि प्रमाण-पत्र गलत पाया जाए तो सनदी लेखाकार को उत्तरदायी ठहराया जाए।


सीबीडीटी ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया (जुलाई 2018)।

5.3 निष्कर्ष

मंत्रालय के पास किराये की आवासों को बनाने के लिए परित्यक्त राजस्व के प्रभाव तथा हाउसिंग सेक्टर में वृद्धि पर इसके प्रभाव को जानने के लिए कोई तंत्र नहीं है। भारत सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस/एलआईजी ग्रुपों के लिए आवासीय योजनाओं के वर्गीकरण के लिए आवासीय इकाइयों के आकार/खरीद क्षमता आधार पर अनेक मापदण्ड थे। समाज के ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी सेक्शन के लिए आवासों की बेहतर उपलब्धता के लिए धारा 80-आईबी(10) के तहत कटौती प्रदान करने के प्रयोजन को एक हद तक प्राप्त नहीं किया जा रहा था क्योंकि रिहायशी इकाइयों का मूल्य इन लक्षित समूहों की पहुँच से बाहर था। धारा 80-आईबी(10) के तहत कटौती मंजूर करने के लिए शर्तों का प्रवर्तन


कमजोर था जिसके फलस्वरूप अपात्र व्यक्तियों/अनभिप्रेत समूहों द्वारा लाभ उठाया जा रहा था। इस प्रकार, लक्षित समूहों को लाभ नहीं दिया जा सका तथा सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष परित्यक्त राजस्व से अनभिप्रेत व्यक्तियों को लाभ हो सकता है।

नई दिल्ली
दिनांक: 07 जनवरी 2019


(संजय कुमार)
प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर-1)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 07 जनवरी 2019


(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक